न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 452/2024

अनवान : –

1. महेश पुत्र रणसिंह जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. झिण्डुराम पुत्र पतराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मोमनराम पुत्र पतराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. निमा देवी पत्नी कुरड़ाराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राय साहब पुत्र कुरड़ाराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. भूपसिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. दर्शन पुत्र कुरड़ाराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. कृष्णा पुत्री कुरड़ाराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
9. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. सावित्री पुत्री रणसिंह जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
11. नेमीचन्द पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
12. शकुन्तला पुत्री रणसिंह जाति जाट निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 27/03/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तसहील नोहर के खाता स0 32/32 की कुल 22.0890 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता मे दर्ज भूमि है।

वादी व प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 32/32 के खसरा नं. 205, 298/3 299/1, 328, 517/2, 9 कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 22.0890 है भूमि वादी व [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है। खसरा नं. 9 जो कि सुरपुरा से ललाना रास्ता पर है तथा खसरा नं. 328 जो कि गांव के पास खेड़ा में भोगराना से ललाना बास दिखनादा के रास्ता पर है तथा खसरा नं. 517/2 जो कि घेऊ के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:18:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Rahul

रास्ता पर है एवं खसरा नं. 299/1 व 298/3 जो कि गांव की फिरनी के पास है इसलिए प्रत्येक खसरा में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के संयुक्त रूप से तथा 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के, 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के एवं शेष 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के संयुक्त रूप से दर्ज करवाकर खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 32/32 के खसरा नं. 205, 298/3 299/1, 328, 517/2, 9 कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 22.0890 है० भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 व 2 ने जवाब दावा मय काउंटर इस आशय का पेश किया की सभी पक्षकारान मुताबिक बाहमी बंटवारा काबिज है एवं अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करते आ रहे है इसलिए मुताबिक कब्जा काश्त व हक हिस्सा के खाता व लागन अलग किया जावे। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये जिरह की गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने विभाजन पर ऐतराज पेश कर बहस में निवेदन किया की उक्त विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 को कोई सूचना व नोटिस जारी नही किया गया है। तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका पर न जाकर केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है अर्थात उक्त विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 ता 21 की पालना में तैयार नही किया गया है तथा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व भी प्रतिवादीगण को नही सुना गया है। प्रतिवादी को घटिया किस्म की भूमि दी गई है व अच्छी किस्म की भूमि वादी को दी गई है हमे आवागमन हेतु रास्ता भी नही दिया गया है। अतः ऐतराज पेश कर अर्ज है कि प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निरस्त कर तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश दिया जावे कि उपरोक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए स्वयं मोके पर जाकर पक्षकारो की उपस्थिति में विवादित भूमि का मोका निरिक्षण कर पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। विभाजन प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव नियामनुसार विधि सम्मत है एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव पर नायब तहसीलदार रामगढ़ के हस्ताक्षर है। अत प्रतिवादी का ऐतराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:18:52 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है एवं वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 32/32 के खसरा नं. 205, 298/3 299/1, 328, 517/2, 9 कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 22.0890 है० भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. कुरडराम पुत्र पतराम जाति नाई हि. सम्पूर्ण सा. देह खातेदार – खसरा न. 9/2 कि 3.2752 है., 205/2 कि 0.351 है., 328/4 कि 1.3248 है., 517/2/2 कि 0.3185 है., 299/1/3 कि 0.020 है., 298/3/1 कि 0.223 है. कुल 5.5125 है. बारानी
2. झिण्डूराम पुत्र पतराम जाति नाई हि. सम्पूर्ण सा. देह खातेदार रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर – खसरा न. 9/3 कि 3.2753 है., 205/2 कि 0.351 है., 328/3 कि 1.3247 है., 517/2/4 कि 0.3185 है., 299/1/3 कि 0.243 है. कुल 5.5125 है. बारानी
3. मोमनराम पुत्र पतराम जाति नाई हि. सम्पूर्ण सा. देह खातेदार – खसरा न. 9/4 कि 3.2752 है. , 205/4 कि 0.351 है., 328/1 कि 1.3248 है., 517/2/1 कि 0.3185 है., 298/3/2 कि 0.243 है. कुल 5.5125 है. बारानी
4. नेमीचन्द पुत्र रणसिंह 1/4 हि., महेश कुमार पुत्र रणसिंह 1/4 हि., शंकुतला पुत्री रणसिंह 1/4 हि., सावित्री पत्नी रणसिंह 1/4 हि. जाति नाई सा. देह खातेदार सम्पूर्ण हिस्सा रहन एसबीआई शाखा नोहर – खसरा न. 9/1 कि 3.2753 है., 205/1 कि 0.351 है., 328/2 कि 1.3247 है., 517/2/3 कि 0.3185 है., 299/1/1 कि 0.243 कुल 5.5125 है. बारानी संयुक्त रहेगी आवागमन हेतु खसरा न. 298/3/4 कि 0.026 है., 299/3 कि 0.013 है. कुल 0.030 है.

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:18:52 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

<u>अंतिम पर्चा डिक्री</u>

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 452/2024

अनवान : –

1. महेश पुत्र रणसिंह जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. झिण्डुराम पुत्र पतराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मोमनराम पुत्र पतराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. निमा देवी पत्नी कुरड़ाराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राय साहब पुत्र कुरड़ाराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. भूपसिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. दर्शन पुत्र कुरड़ाराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. कृष्णा पुत्री कुरड़ाराम जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
9. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. सावित्री पुत्री रणसिंह जाति नाई निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
11. नेमीचन्द पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
12. शकुन्तला पुत्री रणसिंह जाति जाट निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 452 सन 2024 निर्णय दिनांक 27/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 32/32 के खसरा नं. 205, 298/3 299/1, 328, 517/2, 9 कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 22.0890 है० भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. कुरडराम पुत्र पतराम जाति नाई हि. सम्पूर्ण सा. देह खातेदार – खसरा न. 9/2 कि 3. 2752 है., 205/2 कि 0.351 है., 328/4 कि 1.3248 है., 517/2/2 कि 0.3185 है., 299/1/3 कि 0.020 है., 298/3/1 कि 0.223 है. कुल 5.5125 है. बारानी
2. झिण्डूराम पुत्र पतराम जा[illegible] खातेदार रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोहर – खसरा [illegible] कि 0.351 है., 328/3 कि 1.3247 है., 517/2/4 कि [illegible]/3 कि 0.243 है. कुल 5.5125 है. बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:18:52 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

3. मोमनराम पुत्र पतराम जाति नाई हि. सम्पूर्ण सा. देह खातेदार – खसरा न. 9/4 कि 3.2752 है. , 205/4 कि 0.351 है., 328/1 कि 1.3248 है., 517/2/1 कि 0.3185 है., 298/3/2 कि 0.243 है. कुल 5.5125 है. बारानी

4. नेमीचन्द पुत्र रणसिंह 1/4 हि., महेश कुमार पुत्र रणसिंह 1/4 हि., शंकुतला पुत्री रणसिंह 1/4 हि., सावित्री पत्नी रणसिंह 1/4 हि. जाति नाई सा. देह खातेदार सम्पूर्ण हिस्सा रहन एसबीआई शाखा नोहर – खसरा न. 9/1 कि 3.2753 है., 205/1 कि 0.351 है., 328/2 कि 1.3247 है., 517/2/3 कि 0.3185 है., 299/1/1 कि 0.243 कुल 5.5125 है. बारानी संयुक्त रहेगी आवागमन हेतु खसरा न. 298/3/4 कि 0.026 है., 299/3 कि 0.013 है. कुल 0.030 है.

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:18:52 IST
Reason: SelfAttested